प्रेषक,

आयुक्त
ग्राम्य विकास
उत्तर प्रदेश।

सेवामें,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पत्रॉकः—जीओ—92 /सम्पेक्षा/महामाया—आ0यो0/2011—12 दिनांक 14 सितम्बर—2011

विषयः वित्तीय वर्ष 2011—12 में अनुसूचित जाति आवास योजना (महामाया आवास योजना) के क्रियान्वयन हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या—683 /26—ब0प्र0—2011—17बजट/2010, दिनांक 09.09.2011 (छायाप्रति संलग्न)का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके चालू वित्तीय वर्ष 2011—12 के आय—व्ययक के अनुदान संख्या—83 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति आवास योजना (महामाया आवास योजना) के क्रियान्वयन हेतु प्राविधांनित धनराशि के सापेक्ष अवशेष 50 प्रतिशत की धनराशि रू0 27500.00 लाख (रूपये दो अरब पचहत्तर करोड़ मात्र) स्वीकृत कर आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखी गयी है। शासनादेश के निर्देशानुसार स्वीकृत धनराशि में से 10 प्रतिशत की धनराशि रू0 2750.00 लाख (रू0 सत्ताईस करोड़ पचास लाख मात्र) लाख की धनराशि दैवीय आपदा हेतु रोकते हुए शेष धनराशि रू0 24750.00 लाख (रू0 दो अरब सैंतालिस करोड़ पचास लाख मात्र) में से रू0 16162.34 (रू0 एक अरब इकसठ करोड़ बासठ लाख चौतीस हजार मात्र) संलग्नक के कालम—3 विवरण के अनुसार निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जा रही है।

2— आवंटित की जा रही धनराशि से मात्र अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों को लाभान्वित किया जायेगा।

3— नवसृजित जनपद छत्रपतिशाहू जी महराजनगर का कोई मांग पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। अतः इस जनपद को आवश्यक धनराशि इसके पैतृक जनपदों रायबरेली व सुल्तानपुर द्वारा स्थानान्तरित की जायेगी। उक्त सम्बन्धित जनपद अनुपातिक आधार पर नवसृजित जनपद को धनराशि उपलब्ध करायें।

3— उक्त आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग के लिए एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक एवं दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाये।

4— आवंटित की जा रही इस धनराशि को अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा।

5— आवंटित की जा रही इस धनराशि का व्यय योजना में अनुमोदित कार्य मदों एवं योजना के दिशा—निर्देशों के अनुसार तथा राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर निर्गत दिशा—निर्देशों के अनुसार किया जायेगा । यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाय ।

6— आवंटन में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात मुख्य/वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा । यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन होता है, तो सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी का दायित्व होगा कि पूर्ण विवरण सहित प्रकरण की सूचना कार्यालय को उपलब्ध करा दें।

7— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011—12 के अनुदान संख्या—83 के अधीन लेखाशीर्षक "4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय—03—ग्रामीण आवास—आयोजनागत—789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—03—महामाया आवास योजना—35—पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामें डाला जायेगा।

8— आवंटित धनराशि के आहरण की सूचना बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित विलम्बतम प्रत्येक माह की 05 तारीख तक इस कार्यालय के सम्प्रेक्षा अनुभाग में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

9— उक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय रजिस्टर आयोजनागत के पृष्ठ—187 पर कर ली गयी है।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
14/9

(संजीव कुमार)
आयुक्त
ग्राम्य विकास,उ0प्र0।

पत्रॉक: जीओ—92 /सम्पेक्षा/ महामाया—आ0यो0/2011—12 उक्त तिथि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।

2— महालेखाकार आडिट प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद

3— प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0शासन।

4— प्रमुख सचिव, अम्बेडकर ग्राम्य विकास, उ0प्र0शासन।

5— समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

6— समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0।

7— समस्त जिला विकास अधिकारी, उ0प्र0।

8— वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग—3/राज्य योजना आयोग—2/नियोजन अनुभाग—3/वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग—2।

9— नियोजन विभाग—4, उ0प्र0 शासन।

10— ग्राम्य विकास अनुभाग—3/4, उ0प्र0 शासन।

11— संयुक्त सचिव, बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण, उ0प0शासन के शासनादेश संख्या—683/26—ब0प्र0—2011—17बजट/2010, दिनांक 09.09.2011 के क्रम में।

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त(लेखा)
ग्राम्य विकास,उ0प्र0

Ram Prasad_Iay2011-12.doc

पत्रांक : जीओ–92 / सम्प्रेक्षा / आईएवाई(एस.सी.पी / 2011–12 दिनांक 14.09.2011 संलग्नक

महामाया आवास योजनान्तर्गत राज्यांश की धनराशि का आवंटन (धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 स0	जनपद का नाम	आवंटित की जा रही राज्यांश की धनराशि	प्रगामी योग
1	2	3	4
1	मेरठ	0.00	0.00
2	गाजियाबाद	0.15	25.80
3	बुलन्दशहर	34.65	201.60
4	गौतमबुद्वनगर	18.45	24.30
5	बागपत	200.70	205.20
6	सहारनपुर	18.45	314.55
7	मुजफफरनगर	24.75	115.20
8	मुरादाबाद	21.15	139.50
9	बिजनौर	286.20	483.30
10	रामपुर	157.50	239.40
11	ज्योतीबाफूलेनगर	0.00	26.10
12	बरेली	0.00	256.05
13	बदायूं	315.90	715.95
14	शाहजहॉपुर	924.75	1800.90
15	पीलीभीत	0.00	269.55
16	आगरा	11.70	80.10
17	मैनपुरी	0.00	172.35
18	मथुरा	39.60	204.30
19	फिरोजाबाद	30.60	89.10
20	अलीगढ़	14.40	152.55
21	एटा	12.60	90.00
22	महामायानगर(हाथरस	51.75	126.90
23	काशीराम नगर	70.20	81.90
24	झांसी	338.05	624.20
25	जालौन	0.00	168.30
26	ललितपुर	181.88	458.33
27	बांदा	40.74	372.48
28	हमीरपुर	0.00	86.33
29	महोबा	0.00	175.57
30	चित्रकूट	118.82	565.51
31	इलाहाबाद	982.80	1504.35
32	फतेहपुर	0.00	976.95
33	प्रतापगढ	11.70	686.70
34	कौशाम्बी	1971.45	2289.15
35	कानपुर नगर	148.95	282.60
36	रमाबाई नगर	137.25	634.95
37	इटावा	223.65	378.90
38	फर्रुख्खाबाद	21.15	157.50
39	कन्नौज	0.00	260.10
40	औरैया	23.85	121.05
41	वाराणसी	0.00	228.15
42	गाजीपुर	113.40	534.15

पत्रांक : जीओ–92 / सम्प्रेक्षा / आईएवाई(एस.सी.पी / 2011–12 दिनांक 14.09.2011 संलग्नक

महामाया आवास योजनान्तर्गत राज्यांश की धनराशि का आवंटन (धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 स0	जनपद का नाम	आवंटित की जा रही राज्यांश की धनराशि	प्रगामी योग
1	2	3	4
43	जौनपुर	0.00	1033.20
44	चन्दौली	702.00	702.00
45	मिर्जापुर	284.40	601.20
46	सोनभद्र	1148.85	1148.85
47	सन्त रविदास नगर	1026.00	1238.85
48	लखनऊ	901.80	1388.70
49	सीतापुर	0.00	1744.65
50	उन्नाव	407.70	1021.05
51	हरदोई	1332.45	2444.40
52	लखीमपुर खीरी	934.65	2715.75
53	रायबरेली	432.45	877.50
54	गोरखपुर	301.50	649.80
55	देवरिया	303.30	380.70
56	कुशीनगर	161.55	311.40
57	महाराजगंज	4.05	492.30
58	बस्ती	0.00	276.30
59	सिद्वार्थनगर	450.00	805.50
60	संतकबीरनगर	0.00	240.75
61	आजमगढ	0.00	577.80
62	मऊ	67.05	450.90
63	बलिया	0.00	1056.60
64	फैजाबाद	0.00	297.45
65	बाराबंकी	0.00	1053.00
66	सुल्तानपुर	0.00	1069.17
67	अम्बेडकरनगर	364.50	658.80
68	छत्रपसा0म0नगर	0.00	0.00
69	गोन्डा	0.00	484.20
70	बहराइच	182.25	195.30
71	बलरामपुर	231.75	250.65
72	श्रावस्ती	378.90	425.70
	राज्य योग	16162.34	40912.34

(रू0 एक अरब इकसठ करोड़ बासठ लाख चौतीस हजार मात्र)

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त(लेखा),
ग्राम्य विकास, उ0 प्र0।

2

संख्या- 683 /26-ब0प्र0-2011-17(बजट)/2010

प्रेषक,

बी0बी0 सिंह
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण लखनऊ : दिनांकः 09 सितम्बर, 2011

विषयः- वित्तीय वर्ष 2011-12 में अनुसूचित जाति आवास योजना (महामाया आवास योजना) के क्रियान्वयन हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-714/सम्प्रेक्षा/ /2011-12 दिनांक 17 जून,2011 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश संख्या-307/26-ब0प्र0-2011-17 बजट/2010, दिनांक 11 अप्रैल, 2011 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति आवास योजना (महामाया आवास योजना) के क्रियान्वयन हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष 50 प्रतिशत की धनराशि रू0 27500.00 लाख (रू0 दो अरब पचहत्तर करोड़ मात्र) स्वीकृत कर आपके निस्तारण पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि में से 10 प्रतिशत की धनराशि आयुक्त ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के स्तर पर आरक्षित रखी जायेगी जिसमें से यथावश्यक जनपदों की मांग के अनुसार आवश्यक धनराशि बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण की सहमति से आवंटित की जायेगी ।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि से मात्र अनुसूचित जाति/जनजाति के पात्र लाभार्थियों को ही लाभान्वित किया जायेगा ।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग के लिए एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

4- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा । वित्तीय वर्ष के अंत में यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे नियमानुसार समर्पित किया जायेगा ।

5- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का व्यय योजना में अनुमोदित कार्य मदों एवं योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाये ।

6- धनराशि का उपयोग महामाया आवास योजना हेतु निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों पर किया जायेगा तथा धनराशि का आवंटन महामाया आवास योजना हेतु निर्गत दिशा-निर्देशो के अनुसार किया जायेगा ।

7- शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/अपर आयुक्त, लेखा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा । यदि निर्धारित शर्तो का विचलन होता है तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि पूर्ण विवरण सहित सूचना वित्त विभाग को उपलब्ध करा दें ।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-"4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-03-ग्रामीण आवास-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-03-महामाया आवास योजना-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामें डाला जायेगा।

.........2/-

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि योजनान्तर्गत निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जनपदवार फॉट तत्काल निर्गत करने का कष्ट करें ताकि धनराशि का आहरण करते हुये इस योजना का कार्यान्वयन प्रारम्भ किया जा सके ।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-1525/दस-2011 दिनांक 30 अगस्त, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(बी0बी0 सिंह)
संयुक्त सचिव ।

संख्या- 683(1)/26-ब0प्र0-2011-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
3- प्रमुख सचिव, अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 ।
5- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ उत्तर प्रदेश ।
6- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनु0-3/नियोजन अनु0-3/रा0यो0 आयोग-2
8- एन0आई0सी0 की प्रति/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1
9- गार्डफाइल ।

आज्ञा से,

(शशि कमल गोस्वामी)
अनु सचिव ।